

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub—section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 849] No. 849] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1271(अ).—अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से जिसको, राजपत्र में अंतर्विष्ट इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अविध के अवमान के पश्चात विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों में, ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, यदि कोई हो तो, अतिरिक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 259, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110107 ईमेलः singh.shailen@nic.in को भेजे जा सकेंगे;

किसी व्यक्ति से प्राप्त ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट उक्त अवधि के भीतर प्राप्त होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2017 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में (जिसे इसमे इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 2 में,-
 - (अ) खण्ड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थातः-

6232 GI/2017 (1)

- '(ध) "नौभारिक के अंतर्गत कोई व्यक्ति या अभिकरण या फर्म भी होगा जो पोत से अमोनियम नाइट्रेट की चढ़ाई और उतराई, अनुज्ञप्त भण्डार गृह तक उसके परिवहन का कार्य करता है;";
- (आ) खण्ड (न) में ""नौभरण, परिवहन, भंडारण और उपयोग" शब्दों के स्थान पर "परिवर्तक और नौभारिक" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. मूल नियम के नियम 5 में, परंतुक में, "परन्तु सभी" विद्यमान" शब्दों के पश्चात "अमोनियम नाइट्रेट के" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 4. मूल नियम के, नियम 6 में,-
 - (अ) उप-नियम 2 के खण्ड (क) का लोप किया जाएगा;
 - (आ) उप-नियम (4) के खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-
 - "(ङ) आयातक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का आयात केवल स्वयं के वास्तविक उपयोग के लिए किया जाएगा और विक्रय के लिए नहीं।
 - (च) अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात उसके विनिर्माताओं द्वारा किया जाएगा";
- (इ) उप-नियम 5 के खण्ड (ख) में "वाहक पोत" शब्दों के पश्चात "या यान" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 5. मूल नियम के, नियम 8 में,-
 - (अ) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(क) वह एक उचित जलसह थैले में पैक किया गया हो";
 - (आ) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(ख) डिब्बे पर नियम 9 के अनुसार चिह्नांकन किया गया हो";"
 - (इ) खण्ड (ग) में "पैकेज" शब्द के स्थान पर "थैले" शब्द रखा जाएगा;
 - (ई) खण्ड (घ) में "पैकेज" शब्द के स्थान पर "थैले" शब्द रखा जाएगा।
- 6. मूल नियम के नियम 9 में,-
 - (अ) उप-नियम (1) में,-
 - (i) "या आधान" 'शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) खण्ड (च) में, "पैकेज" शब्द के स्थान पर "थैले" शब्द रखा जाएगा;
 - (iii) खण्ड (ज) में "नौभरण अभिकर्ता" शब्दों के स्थान पर "नौभरक" शब्द रखा जाएगा;
- (आ) उप-नियम (2) मे "आरएफआईडी" शब्द के स्थान पर "रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस" शब्द रखे जाएंगे।
- 7. मूल नियम के, नियम 12 में,-
- (अ) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थातः-
 - "(4) अमोनियम नाइट्रेट भण्डारगृह से निम्नलिखित सुरक्षा दूरियां रखी जाएगी अर्थातः-
 - (क) 30 मीट्रीक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट के भण्डारण के लिए,-
 - (i) 30 मीट्रीक टन से अनधिक क्षमता के भण्डारगृह से 4.5 मीटर;
 - (ii) अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक से 4.5 मीटर;
 - (iii) चारदीवारी से 4.5 मीटर; और
 - (iv) किसी भी संरक्षित कार्य से 45 मीटर।
 - (ख) 30 मीट्रीक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के भण्डारण के लिए,-
 - (i) अन्य भण्डारगृह से 9 मीटर;
 - (ii) अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक से 9 मीटर;
 - (iii) चारदीवारी से 9 मीटर और

- (iv) किसी भी संरक्षित कार्य से 90 मीटर;
- (4अ) भण्डारगृह या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक, अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण या संपरिवर्तन के पेटीबंदकरण एकक या विस्फोटक विनिर्माण संयंत्र या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्र के निकटवर्ती हो सकता है, लेकिन उप-नियम (4) के सभी उपबंधों का पालन किया जाएगा;
- (4आ) सुरक्षा दूरी की नाप यथास्थिति अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक या भण्डारगृह के किनारे से ली जाएगी।";
- (आ) उप-नियम (8) के, खण्ड (iii) में, "दूरी रखी जाएगी" शब्दों के पश्चात "और दो ऐसे अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाई रखी जाएगी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 8. मूल नियम के नियम 14 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः-
 - "(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, विक्रय या उपयोग हेतु कब्जा, परिवहन, आयात या निर्यात हेतु, इन नियमों के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति के प्रत्येक धारक द्वारा अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में रिकार्ड रखा जाएगा ताकि अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही, पहचान और पता लगाना सुनिश्चित किया जा सकें और नियम 50 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे रिकार्ड प्रस्तुत किए जाए;
 - (1क) अनुज्ञप्ति धारक अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, पेटीबंदकरण, विक्रय या उपयोग हेतु कब्जा, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात के संबंध में विशिष्टियाँ, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध ऑनलाइन प्रणाली में, प्रतिदिन के आधार पर प्रविष्टि करेगा।";
- 9. मूल नियम में, "अध्याय 3" के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थातः-
 - (क) "सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना के लिए उपबंध"।
- 10. मूल नियम में, नियम 15 के, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थातः--
 - "(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन या नौभरण के लिए इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी और जिला प्राधिकारी को, यथास्थिति, पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप-अधीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रस्ठांकित संरक्षा पहलुओं के साथ सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा।"।
- 11. मूल नियम के नियम 18 में,-
- (अ) उप-नियम (2) में, "नौभरण अभिकर्ता" शब्दों के स्थान पर "नौभारिक" शब्द रखा जाएगा;
- (आ) उप-नियम (3) में, "नौभारिक अभिकर्ता" शब्दों के स्थान पर "नौभारिक" शब्द रखा जाएगा;
- (इ) उप-नियम (4) में, "अनुज्ञापन प्राधिकारी और" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ई) उप-नियम (5) के खंड (ख) में "प्ररूप गड-1" शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर "प्ररूप ग-1" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
- (उ) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(7) अमोनियम नाइट्रेट का आयात केवल स्वयं के वास्तविक उपयोग के प्रयोजन के लिए किया जाएगा और व्यापार प्रयोजन के लिए नहीं।";
- 12. मूल नियम में, नियम 19 के, उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(4) निर्यातक, प्रत्येक पारेषण के निर्यात पर, जैसे ही भारतीय समूद्री पत्तन या सीमा से उसके प्रेषण करते ही, मुख्य नियंत्रक को लदान के बिल की प्रति और प्ररूप द-12 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।"।
- 13. मूल नियम में, नियम 21 के, उप-नियम (6) में "भण्डार गृह" शब्द के पश्चात "या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 14. मूल नियम में, नियम 22 के, उप-नियम (8) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

- "(9) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में लगे यानों में ग्लोबल पोजिश्निंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराए जाएगी और प्ररूप त-4 में परिवहन अनुज्ञप्ति धारक द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी।"।
- 15. मूल नियम के, नियम 26 में, "किसी भण्डार गृह में और उससे" शब्दों के स्थान पर "किसी भण्डार गृह या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक से" शब्द रखे जाएंगे।
- 16. मूल नियम में, नियम 27 के, उप-नियम (2) के खण्ड (ग), के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
 - "(घ) अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुसूची II के भाग 3 के प्ररूप द -13 में पास जारी की जाएगी।"।
- 17. मूल नियम में, अध्याय 7 के शीर्षक में, "अंतरण" शब्द का लोप किया जाएगा।
- 18. मूल नियम में, नियम 29 के उप-नियम (1) में, -
- (अ) खण्ड (ख) में, "भण्डार गृह से" शब्दों के स्थान पर "अमोनियम नाइट्रेट के" शब्द रखे जाएंगे;
- (आ) खण्ड (ग) में, "भण्डार गृह" शब्दों के पश्चात, "या टैंक में पिघला अमोनियम नाइट्रेट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (इ) खण्ड (घ) में "भण्डार गृह" शब्दों के पश्चात "या टैंक में पिघला अमोनियम नाइट्रेट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 19. मूल नियम के, नियम 30 में,-
- (अ) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः-
 - "(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, पेटीबंदकरण, बिक्री हेतु भण्डारण के लिए कब्जा या अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु कब्जा, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा नियम 33 में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर, ऐसी अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।";
- (आ) उप-नियम (2) में, "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "प्राधिकारी" शब्द रखा जाएगा;
- (इ) उप-नियम (3) में, शब्द और अंक "नियम 33" के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 34" रखा जाएगा।
- 20. मूल नियम के नियम 31 में, शब्द और अंक, "नियम 32" के स्थान पर शब्द और अंक, "नियम 33" रखा जाएगा।
- 21. मूल नियम में, नियम 33 के, उप-नियम (2) के खंड (घ) में, "चार्टरित अभियंता" शब्दों के स्थान पर "आवेदक" शब्द रखा जाएगा।
- 22. मूल नियम के नियम 34 में,-
- (अ) उप-नियम (2) के खण्ड (ख) मे "खान सुरक्षा महानिदेशक" शब्दों के पश्चात "या खान सुरक्षा उप महानिदेशक या खान सुरक्षा निदेशक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (आ) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(3) जिला प्राधिकारी या खानसुरक्षा महानिदेशक या खानसुरक्षा उप-महानिदेशक या खानसुरक्षा निदेशक द्वारा विनिर्माण या संपरिवर्तन या भण्डारगृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोजन, के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र या विस्फोटक नियम,2008 के अधीन जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के दायरे में यदि वह स्थान शामिल है जहाँ ये कार्य पहले से विद्ययमान है तो उसके लिए नए सिरे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित नही होगा।"।
- 23. मूल नियम में, नियम 35 के, उप-नियम (3) में, "अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "नियंत्रक या जिला प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।
- 24. मूल नियम के, नियम 36 में,-
- (अ) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

"(4) अनूज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, अनुज्ञप्ति फीस के साथ ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास उस तारीख को या उससे पहले पहुँच जाए, जिस तारीख को अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होती है:

परन्तु यदि पूरे दस्तावेजों के साथ नवीकरण आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होने के पश्चात किंतु उसकी विधिमान्यता समाप्त होने के छह मास के भीतर प्राप्त होता है; और यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि विलंब का कारण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर था, तो इस निमित्त किए गए किसी भी अन्य कार्रवाई के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, एक वर्ष के अनुज्ञप्ति फीस के तुल्य विलंब शुल्क के भगतान करने पर नवीकरण किया जा सकता है।";

- (आ) उप-नियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-
 - "(9) ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा यदि अनुज्ञापन या नवीकरण प्राधिकारी द्वारा नवीकरण का आवेदन, अनुज्ञप्ति के विधिमान्यता समाप्त होने के छह मास के पश्चात प्राप्त किया जाता है।
 - (10) अनुज्ञप्ति के विधिमान्यता समाप्त होने के छह मास के पश्चात यदि अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होता है तो उसे नई अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन समझा जाएगा और ऐसे मामले में, नई अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज, अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।"।
- 25. मूल नियम में, नियम 51 के उप-नियम (3) में "की कोई बात" शब्दों के स्थान पर उप-नियम 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे और "नहीं" शब्द का लोप किया जाएगा।
- 26. मूल नियम के, नियम 52 में, "जहाँ हानि अमोनियम नाइट्रेट के रोजमर्रा के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, या उपयोग के दौरान प्रतीकात्मक रूप से होने वाली हानि की मात्रा से अधिक हानि होती है," शब्दों का लोप किया जाएगा।
- 27. मूल नियम की अनुसूची 1 के सारणी में क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 2 में,-
- (अ) मद (क) में "या प्रयोग" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (आ) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(ख) किसी भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या";
- (इ) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई या औद्योगिक इकाई से संबदद्वध भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से उपयोग हेतु आमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या";
- (ई) मद (घ) में "भण्डार गृह" शब्दों के पश्चात "3 मैट्रिक टन से अनधिक" अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 28. मूल नियम के अनुसूची 2 में,
- (अ) भाग-1 की, सारणी में, स्तंभ 2 में, प्ररूप क-3 के सामने,-
 - (क) मद (क) में "या प्रयोग" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ख) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(ख) किसी भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या";
 - (ग) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-

"(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई या औद्योगिक इकाई से संबन्धित भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से उपयोग हेतु आमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या";

- (घ) मद (घ) में "भण्डार गृह से" शब्दों के पश्चात "3 मैट्रिक टन से अनधिक" अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (आ) भाग-2 की, सारणी में, स्तंभ 2 में, प्ररूप त-3 के सामने, -
 - (क) मद (क) में "या प्रयोग" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ख) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट; या";
 - (ग) मद (ग) को निम्नलिखित मद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई या औद्योगिक इकाई से संबन्धित भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से उपयोग हेत् आमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या";
 - (घ) मद (घ) में "भण्डार गृह से" शब्दों के पश्चात "3 मैट्रिक टन से अनिधक" अंक और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (इ) भाग-3 की, सारणी में, प्ररूप द-11(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात;

"द-12	निर्यातक द्वारा समुद्री बंदरगाह से या सडक मार्ग से निर्यात हेतु किसी भी अमोनियम नाइट्रेट के परेषण को जैसे ही रवाना किया जाता है, तो उसकी घोषणा जल्द ही मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पास अग्रेषित की जाएगी।
द-13	अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किया गया पास।";

(ई) भाग-4 में, -

(क) प्ररूप क-1 से क-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थातः-

"प्ररूप क-1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 और 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे

में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन को ठोस या ठोस को गलन में संपरिवर्तित करने और विक्रय के के लिए कब्जे में रखने हेतु अनुमोदन या अनुज्ञप्ति अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): अनुमोदन 🔃 अनुदान 🔃 संशोधन 🔃
1. आवेदक के प्रकार(कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ):
व्यष्टिक 🔲 कंपनी 🔃 भागीदारी फर्म 🔲 सोसायटी 🗍 मालिकाना फर्म
2. आवेदक का ब्यौरा:
(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)
(ख) सीआईएन संख्या/ फर्म रजिस्ट्री संख्या (कंपनी/फर्म की दशा में)
(ग) यदि व्यष्टि हो, तो उसकी आयु
(घ) डाक पता
शहर जिला राज्य पिन कोड पिन कोड
ਸਮਾਹਿਰੀ ਦਹੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਤਕ ਤੋਂ ਨੂੰ ਸੋਚ

कृपया आगे हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चिपकाएँ

3. प्रस्तावित परिसर का पता	·:		
		व	
		r स्टेशन	
राज्य	पिन कोड		
4. आवेदक और उसके द्वारा ि	नेयोजित तकनीकी कर्मियों की अह	र्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों के ब्यौ	रे दें और यदि अपेक्षित हो पृथक शीट
संलग्न करें)			
5. औद्योगिक अनुज्ञप्ति का ब्यं	ौरा (प्रति संलग्न करें):		
6. प्रस्तावित अमोनियम नाइ	ट्रेट का विवरण (1) विनिर्मित	(2 <u>)</u> संपरिवर्तित	
विनिर्माण/संपरिवर्तन हेतु	विनिर्माण/संपरिवर्तन हेतु	औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अनुसार	कब्जा और बिक्री के लिए संलग्न
प्रस्तावित मात्रा	प्रस्तावित मात्रा वार्षिक	अनुमोदित वार्षिक क्षमता (मेट्रिक	
प्रतिदिन	(मेट्रिक टन में)	टन में)	(मेट्रिक टन में)
(मेट्रिक टन में)			
7. प्रस्तावित संशोधन का ब्यौ	' ौरा या अतिरिक्त जानकारी -		<u> </u>
2 () 2 - 2 - 2		····	0-10-32-0-0-
_ ` '	· ·		ा विगत 10 वर्षों से धारित किया गया
			» — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द व	ती गई या नवीकृत नहीं की गई? 	Ę	<u>ग</u> ाँ नहीं
यदि हाँ, तो ब्यौरा दें			
9. (क) क्या आवेदक को पिछ	ले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया	संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अ	गधीन किसी अपराध के निए सिद्धदोष
ठहराया गया है या बंधपत्र नि	नेष्पादित करने का आदेश दिया गय	या है?	
हां नहीं	٦		
`	<i> }</i> ;		
(ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौर 10. फीस के ब्यौरे			•
11. संलग्न दस्तावेजों की सूर्च		0 3.	
में यह प्रमाणित करता हूं कि	मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां	सही है।	
तारीख:		गरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्ष	ξ
स्थान :		्रा नाम	
	(कंपनी	ो की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)	
टिप्पण : कपया प्रयोजन और व	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों वे	-	

- (1) उस देशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएँ ।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए ।

कानूनी चेतावनीः अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप क -2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33,35 और 37 देखिए) अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण,पेटी बंद और भण्डार के अनुज्ञप्ति हेतु अनुमोदन या अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन

प्रयोजन (कृपया किसी एक पर रि	नेशान लगाएँ):	अनुमोदन	अनुदान		संशोधन	
1. आवेदक का प्रकार (कृपया कि	सी एक पर निशान ल	गाएँ):				
व्यष्टिक कंपनी भागीदारी फर्म मालिकाना फर्म सोसायटी						
 2. आवेदक का ब्यौरा:						
(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की म	iग की गई है (नीचे टि _'	पण देखिए)				
(ख) सीआईएन संख्या/ फर्म रजि	स्टी संख्या (कंपनी/फर्म	ं की दशा में)				
(ग) यदि व्यष्टि हो, तो उसकी आयु						
(घ) डाक पता	S					
शहर जिला	राज्य	पिन व	गेड			
एसटीडी कोड सहित फोन नं	मोबाइत	र नं	ई-मेल			
3. प्रस्तावित परिसर का पता:						
सर्वे/ गट नं./खसरा नं						
मंडल/तालुक/तहसील						
थाना						
राज्य						
4.पत्तन प्राधिकरण के नौभारक			, 6		· 2 C	,,,,
5. आवेदक और उसके द्वारा निय	जित तकनीकी कमिय	ा का अहताए और	अनुभव (व्यक्तिया	ा का ब्यार	ा दे और यदि	अपक्षित हो तो पृथक
शीट संलग्न करें)						
<u>6. पेटीबंद किए जाने हेतु प्रस्तारि</u>	•			•		70
पेटीबंद किए जाने हेतु	वार्षिक अधिष्ठापन		ो हेतु प्रस्तावित प्रप् भगन्म	गु ज		मोनियम नाइट्रेट के
प्रस्तावित मात्रा प्रितदिन	(मीट्रिक टन में)		रण क्षमता ट्रिक टन में)			तु संलग्न भंडारगृहों स्तावित क्षमता
(मीट्रिक टन में)		(41)	ट्रक टरा म)			ट्रिक टन में)
(411)2 17 (51) 11)					(-11	13 11 21 11)
7. प्रस्तावित संशोधन का व्योरा	या आतारक्त जानकार	Ţ				
8. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1		-	शेष्टियाँ , यदि आवे	दक द्वारा	विगत 10 वा	र्जों से धारित किया गया
हो						
			·			
(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की ग	ाई या नवीकृत नहीं की	ा गई? हाँ नही	<u>.</u> 			
यदि हाँ, तो जानकारी दें					-	
9. (क) क्या आवेदक को पिछले	10 वर्षों के दौरान दंड	प्रक्रिया संहिता. 1	973 के अध्याय V	/III के अर्ध	ीन किसी अप	गराध के निए सिद्धदोष
9. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के निए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां नहीं						
०हराया गया ह या बेळपत्र ागण्याापत फरेन का जापरा ापया गया ह <i>े.</i> हा नहा (ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें						
• •						
10. फीस के ब्यौरे						
11. संलग्न दस्तावेजों की सूची:						
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे	द्वारा ऊपर दी गई वि	शेष्टियां सही हैं।				

5. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों के ब्यौरे दें और यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट संलग्न करें)

----- नगर/गांव ------

मंडल/तालुक/तहसील ------ रेलवे स्टेशन ------

---- पिन कोड ----

सर्वे/ गट नं./खसरा नं ----

	किये
13. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियाँ, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित गया हो	किया
(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ नहीं यदि हाँ, तो ब्यौरा दें	
14. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के निए ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां नहीं (ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें	ु सिद्धदोष
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।	
तारीख: ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर स्थान : पूरा नाम (कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति) टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।	
ाटप्यण. कृषया प्रयोजन जार सलक्ष्र किए जान पाल पस्तायजा के लिए नियम पाखए । (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए ।	
(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए। (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए। कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध माना	ाजाएगा ।
प्ररूप क -4 (अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 और 37 देखिए) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन हेतु अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन	कृपया आगे हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चिपकाएँ
प्रयोजन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): अनुदान संशोधन	. प्रथमगर्

1.आवेदक के प्रकार (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ):	
व्यष्टिक ंपनी भागीदारी फर्म	सोसायटी मालिकाना फर्म
2. आवेदक का ब्यौरा:	
(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए	·)
(ख) प्रास्थिति (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): व्यष्टिक भागीदारी फर्म सोसायटी (ग) सीआईएन संख्या/ फर्म रजिस्ट्री संख्या (कंपनी/फर्म की दशा से	कंपनी स्वामित्व
(घ) यदि व्यष्टि हो, तो उसकी आयु	
(ड.) डाक पता	
शहर जिला	राज्य पिन कोड
(च) एसटीडी कोड सहित फोन नं मोबाइल नं	
3. आवेदक की अर्हता और अनुभव:	
4. उस स्थान की विशिष्टियाँ जहां से और जहा तक अमोनियम ना	इट्रेट का परिवहन किया जाएगाः
(क)विनिर्माण कारख़ाना स्थापित है	से पूरे भारत में
(ख)पत्तन का नामसे जिस परिसर में	
(ग)पत्तन का नाम	
(घ) नौभरण परिसर	
(इ.) भंडारगृह स्थापित है (च) भंडारगृह स्थापित है	राज्य को/ राज्य में/ के जिले
5.विस्फोटक नियम,1884 के अधीन आवेदक द्वारा धारित अनुज्ञ <i>ि</i>	
(क) अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण की अनुज्ञप्ति संख्या (यदि लागू है	
(क) अमानियम नाइट्रट विनिमाण को अनुशास संख्या (यदि लागू ह (ख)नौभरक अनुज्ञप्ति संख्या(यदि लागू है तो)	
(ख)ना मरक अनुशात संख्या(याद लागू ह ता) (ग) भंडारगृह की अनुज्ञप्ति संख्याः	
(i) कब्जा और विक्रय(ii) कब्जा और उपयोग
6.परिवहन के प्रकार:	
	धिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति धारित की गई (हां/नहीं)
	र्षों के दौरान रद्द किया गया या नवीकृत नहीं किया गया (हां/नहीं)
	हिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के निए सिद्धदोष्
ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश	
यदि उपरोक्त किसी प्रश्न का जवाब हां है, तो ब्यौरा दें	
8. फीस के ब्यौरे	
9. संलग्न दस्तावेजों की सूची:	
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सह	}
म यह प्रमाणित करता हूं कि मर द्वारा ऊपर दा गई विशिष्टिया सह	हा ह।
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	क्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर
• (	πम
(कपन टिप्पण: कपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के जि	ो की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति) लेग नियम देखिए ।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए ।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।
- (4) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में अनुज्ञप्ति प्ररूप त-1, त-2, त-3, या त-5 की प्रति।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध का मा	ाना
जाएगा । प्ररूप क -5	कृपया आगे हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट साइज
(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 और 37 देखिए)	रंगीन फोटो चिपकाएँ
अमोनियम नाइट्रेट के आयात या निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन	_
सी प्रयोजन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): आयात िनर्यात ि 1. आवेदक के प्रकार (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): व्यष्टिक कंपनी भागीदारी फर्म सोसायटी मालिकाना फर्म	
2. आवेदक का ब्यौरा:	
(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)	
(ख) सीआईएन संख्या/ फर्म रजिस्ट्री संख्या (कंपनी/फर्म की दशा में)	
(ग) यदि व्यष्टि हो, तो उसकी आयु	
(घ) डाक पता	
	-
3.आयात की दशा में: (क)आयात की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्राः	
	3 <del>1111</del>
्ट) जायातका के मेडारगृहा का जनुशात का ायपरण, जहां जनाानयम नाइट्रट जायात के बाद मेंण्डार किया जाएगा, या ता साव द्वारा या नौभरण एजेंट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:	<u> </u>
4. निर्यात की दशा में:	
क)निर्यात की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्राः	

5. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियाँ, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित किया ग हो	π 
	ष
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।	
तारीख:	₹,
<ul> <li>(ख) प्ररूप त-1 में अनुज्ञप्ति,-</li> <li>(I) क्रम संख्या 1 में, "पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाटफोन ईमेलफैक्स" शब्दों का लोप कि जाएगा।</li> <li>(II) क्रम संख्या 1 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- "1(क). अधिभोगी का नाम श्री</li></ul>	ग

"14. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्मित या संपरिवर्तित अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा प्ररूप द-2 में रखा जाएगा और विनिर्मित या संपरिवर्तित, प्राप्त, प्रयोग, बेची, विनष्ट और चोरी किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी मासिक विवरणी अनुसूची 2 भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप द-9 में को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक अगले महीने की 10 तारीख तक अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए।

### (ग) प्ररूप त-2 में अनुज्ञप्ति, -

- (I) क्रम संख्या 1 में, "पुलिस स्टेशन .... रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट......फोन...... ईमेल.....फैक्स......" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (II) क्रम संख्या 1 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा; "1(क) अधिभोगी का नाम श्री....."
- (III) क्रम संख्या 9 के पश्चात, अंत में "जिला प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "मुख्य नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे;
- (IV) शर्त संख्या 4 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थातः-
  - "(4) अनुज्ञप्तिधारी एवं नौभरण, पेटी और भण्डारण परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को नौभरण, पेटी और भण्डारण परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा नौभरण, पेटी और भण्डारण परिसर या उसमें रखे अमोनियम नाइट्रेट में आप्रधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी होगी एवं ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना होगा जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो नौभरण, पेटी और भण्डारण परिसर में कार्य के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।
- (V) शर्त (6) में, "विनिर्माण तथा संपरिवर्तन" शब्दों के स्थान पर "नौभरण, पेटी और भण्डार" शब्द रखे जाएंगे;
- (VI) शर्त (9) में, "आयात किया जा रहा है" शब्दों के पश्चात "जो आयातक के भण्डार गृह की क्षमता में सीमित हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (VII) शर्त (10) में, "पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे;
- (VIII) शर्त (14) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थातः-
  - "(14) अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची 2 भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इनका अभिलेख रखेंगे और नियम 50 में विनिर्दिष्ट पराधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।";
- (IX) शर्त 16 के पश्चात, अंत में, "[जिला प्राधिकारी]" शब्दों के स्थान पर "[मुख्य नियंत्रक]" शब्द रखे जाएंगे;
- (घ) प्ररूप त-3 में अनुज्ञप्ति,-
  - (I) मद (क) में "या प्रयोग" शब्दों का लोप किया जाएगा।
  - (II) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-
    - "(ख) किसी भण्डार गृह या टैंक में पिघला अमोनियम नाइट्रेट से 30 मीट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या;
  - (III) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:-
    - "(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई या औद्योगिक संकर्म से संबद्ध भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से अमोनियम नाइट्रेट उपयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या";
  - (IV) मद (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:—
    - "(घ) किसी 3 मैट्रिक टन से अनधिक भण्डार गृह से कृषि प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट उपयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति";
  - (V) क्रम 1 में "पुलिस स्टेशन .... रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट......फोन...... ईमेल....फैक्स......" शब्दों का लोप किया जाएगा।
  - (VI) क्रम 1 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित किया जाएगा;
    - " 1(क) अधिभोगी का नाम श्री.....";

(VII) क्रम 4 में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थातः-
"(ख) एक मास में क्रय की जाने वाली अमानियम नाइट्रेट की मात्रा; (ग) वित्तिय वर्ष में क्रय की जाने वाली अमानियम नाइट्रेट की मात्रा";
(VIII) शर्त (2) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थातः-
"(2) किसी एक समय में, परिसर में प्राप्त या भण्डारित या विक्रय किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।";
(IX) शर्त (6) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थातः-
"(6) अनुज्ञप्ति धारक द्वारा परिसर में कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।";
(X) शर्त (9) में "पुलिस स्टेशन और जिला प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे;
(XI) शर्त (10) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थातः-
"(10) अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इनका अभिलेख रखेंगे और नियम 50 में विनिर्दिष्ट पर्ाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।";
(XII) शर्त (11) में "विनिर्मित, संपरिवर्तित, नौभारित, बैग्ड, प्राप्त, विक्रय हुए या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात" शब्दों के स्थान पर "प्राप्त, विक्रय, चुराए" शब्द रखे जाएंगे;
) प्ररूप त-4 में अनुज्ञप्ति,–
(I) क्रम 1 के पश्चात निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"1(क) अधिभोगी का नाम श्री";
) प्ररूप त-5 में अनुज्ञप्ति,– (I) क्रम 1 में "पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाटफोन ईमेलफैक्स" शब्दों का लोप किया जाएगा;
(II) क्रम 1 के पश्चात निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"1(क) अधिभोगी का नाम श्री";
(III) सारणी में क्रम 3  के मद (क) में,-
(i) स्तंभ 2 का लोप किया जाएगा;
(ii) अंतिम स्तंभ में विधमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-
"अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन जारी नौभरक अनुज्ञप्ति की
विशिष्टियाँ";
(IV) शर्त (12) में, "नियम 49" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 50" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

प्ररूप द-1 में, टिप्पण में, क्रम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम रखा जाएगा, अर्थातः-

के प्रेषण के तुरंत बाद ही निर्यात प्ररूप द-12 में विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।";

(V) शर्त (12) के पश्चात निम्नलिखित शर्त को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

(ङ)

(च)

(छ)

"(1) नवीकरण आवेदन पत्र नवीकरण प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व पहुंच जाना चाहिए जिससे विलम्ब शुल्क से बचा जा सकें।";

"(13) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात हेतु अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भारतीय समुद्री पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट के परेषण

- (ज) प्ररूप द-10 में,-
  - (I) शीर्षक "प्ररूप द-10" के नीचे "26(2)(क)" अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "27(2)(क)" अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे
  - (II) अंत में "अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर" शब्दों के पश्चात "या अधिकृत व्यक्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (झ) प्ररूप द-11(क) के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थातः-

# प्ररूप द-11(क)

		•	ोनियम नाइट्रेट नि		, , ,		
अमोरि	नेयम नाइट्रे	ट के परेषण का प्रेषण से पह	हले पारेषक या नौ	भरक द्वारा जिला	पुलिस अधीक्षक व	को जानकारी दिए 	ए जाने सम्बन्धी प्रव
1		ो जाने वाली अमोनियम न	• '	• ,			
2		संख्या (ठोस अमोनियम ना					
3		न के द्वारा अमोनियम नाइ					
4		का नाम और पता					
5	. अमोनिय	ाम नाइट्रेट भण्डारण करने	हेतु परेषिती की अ	ानुज्ञप्ति की संख्य <u>ा</u>	एवं विधिमान्यता	•	
6	 . परेषिती	के मॉंग पत्र की संख्या और	 र तारीख				
7	. परेषण प्र	ग्राप्त करने वाले प्राधिकृत व					
R	i i murtu	के प्रेषण की तारीख					
		. त्रवन का साराज के पास पारेषण पहुंचने की					
स्थान: तारीख	:			पूरा नाम	ा प्राधिकृत व्यक्ति  संख्या		
(ञ) प्रग	रूप द-11(ख	·	वेत प्ररूप रखा जा। ोनियम नाइट्रेट नि ट्रेट के परिवहन के	प्ररूप द-11(ख) यम, 2012 के नि		ोमित पास	
1		व्या					
2	ग्राम/शह	:बैग के पारगमन रूरजिला जिला ोनियम नाइट्रेट (ठोस)	राज्य राज्य				म नाइट्रेट है;
क्र.		विस्फोटक का नाम	मात्रा (कि.ग्र.)	इकाई	बैग की संख्या	बैच नंबर	बैच तारीख
	1						
	2						
		1	1	·	1	1	1

क्र.सं.	विस्फोटक का नाम	मात्रा (कि.ग्र.)	इकाई	बैग की संख्या	बैच नंबर	बैच तारीख
1						
2						
3						
4						

(आ) अमोनियम नाइट्रेट (पिघला)

्जा) जनानिवन नारपूर (निवना)					
क्र.सं.	विस्फोटक का नाम	मात्रा (कि.ग्रा.)			
1					
2					
3					
4					

	3.	(क)पारवहन क साधन (ख)यान रजिस्ट्रेशन संख्या
(ग)		नियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन त-4 अनुज्ञप्ति का ब्यौरा जिसके आधार पर अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन किया ज रहा है
		[∖] रु। रु परेषिती का नाम और पता
		परेषिती की अनुज्ञप्ति संख्या
		परेषिती के मांगपत्र की संख्या और तारीख और मांगी गई अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
	7.	परेषिती के पत्र की संख्या और अमोनियम नाइट्रेट की अभिप्राप्ति करने की अच्छा की सूचना की तारीख
	8.	परेषण के प्रेषण की तारीख
		परेषण के गन्तव्य तक पहॅंचने की संभावित तारीख
	10.	परेषण के परिवहन का मार्ग
स्था		परेषक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
तारी	ोख:	पूरा नाम अनुज्ञप्ति संख्या";

(ट) प्ररूप द-11(ख) के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

# प्ररूप द-12 (अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 19(4) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के निर्यातक द्वारा समुद्री पत्तन से या जमीनी परिवहन से अमोनियम नाइट्रेट के परेषण का प्रेषण करते ही निर्यातक द्वारा तुरंत बाद ही अग्रषित की जाने वाली घोषणा,"

क्रम संख्या	मद	<u>ब्यौरे</u>
1.	निर्यात परेषण	
2.	निर्यात अनुज्ञप्ति सं.	
3.	निर्यात का नाम और पता	
4.	अमोनियम नाइट्रेट का प्रकार	
5.	निर्यात हेतु अनुमत्य मात्रा	
6.	परेषिती का नाम और पता	
7.	अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माता का नाम	
8.	भारतीय समुद्री पत्तन या उसकी सीमा	
9.	गंतव्य देश	
10.	पोत का नाम	
11.	भारतीय समुद्री पत्तन या भूमि से निर्यात के प्रेषण की तारीख	
12.	निर्यातक की टिप्पणियाँ (यदि कोई हो)	

निर्यातक के परिसरों से अमोनियम नाइट्रेट के प्रेषण का विवरणः-

	क्रमं	प्रेषण की	द-11(ख)	निर्यात	बैगो की	प्रत्येक बैग	निर्यातित	बैच	बैच की	अनुज्ञप्त
	सं.	तारीख	सं.	इंडेंट	संख्या	की मात्रा	मात्रा	संख्या	तारीख	परिवहन
				आर-10		(किलोग्राम	(किलोग्राम			की डॉक
				सं.		में)	में)			संख्या
						,	,			

तारीख:	निर्यातक के हस्ताक्षर
स्थान:	कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति

### प्ररूप द- 13 अमोनियम नाइट्रेट नियम,2012 के नियम 27(2)(घ) देखें अनज्ञप्तिधारी द्वारा अमोनियम नाइटेट के उपयोग के लिए जारी पास

	अनुः	न्नाप्तधारा द्वारा अमानिय	म नाइट्रट क उपयाग के लिए जारा पास	
		,	भाग-क	
पास सं.				तारीख
			। कवर करता है: उपयोग भण्डारगृह से ट्रांग्ि में स्थापित:, उपयोग के स्थान	
क्रम सं.	अमोनियम नाइट्रेट के प्रकार	उपर	ोग के लिए जारी मात्रा	इकाई
परिवहन उ अमोनियम		ग्रीन परिवहन किए गये		
खान/स्वार्	मेत्व/स्थल के उपयो	ग के प्राधिकृत व्यक्ति,		
एजेंट के न				
	ो गई साइट का पूरा	पता		
उपयोग क				
भण्डार गृ अनुमानित		ई साइट के मध्य की		
हस्ताक्षर	<b>.</b>	, , , ,	हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	
	मित्व /स्थल के उपयो ——	ग के लिए प्राधिकृत	(अनुज्ञप्तिधारी)	
व्याक्त का	र्जेंट के नाम		अनुज्ञप्ति संख्या: अनुज्ञप्ति प्ररूप: त-3	
			अनुशास प्ररूप. त-3	
भण्डार गृ उपरोक्त व	्र रान उपयोग की माइ ह से उपयोग के स्थ	ान तक की दूरी पर यवि	पम नाइट्रेट की अनुमानित मात्रा । दे कोई अमोनियम नाइट्रेट अन-उपयोगित व स्ति से पहले जमा कराने के लिए वापिस पी	• •

भाग-ख अनुपयुक्त अमोनियम नाइट्रेट  बचा होने के मामले में भण्डारगृह में भरे जाने और जमा किए जाने :						
क्रम सं.	अमोनियम नाइट्रेट के प्रकार	वापिस मात्रा	की	गई	वास्तविक उपयोग मात्रा	इकाई
हस्ताक्षर खान/स्वामित् व्यक्ति के एजें	्व/स्थल के उपयोग के ट के नाम	लिए प्राप्ति	धेकृत	(अन् अनु	गक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) गुज्ञसिधारी) ज्ञप्ति संख्या: ज्ञप्ति प्ररूप: त-3"।	

(ठ) प्रमाण-पत्र में, प्ररूप ग-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थातः-

# "प्ररूप ग- 2 अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (अमोनियम नाइट्रेट नियम,2012 के नियम 34 देखें) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र

	आवे	न पत्र	संख्या	तारीख	शी		द्वार	ा प्रस्तु	त	के सन्दर्भ	में और अम	ोनियम
नाइट्रेट	नियम]	2012	के नियम 34	के अनुसरण में र	सम्यक रूप	से पृष्ठ	ांकित अ	गौर संल	ग्न आरे	खण में सर्वे	नं	या गट
				सं								
जिला			राज्य	स्थित	परिसर	में	श्री	या	मै.			
पता			को ि	नेम्नलिखित प्रयोज	न, प्रकार ए	वं मात्रा	के अमो	नियम न	गाइट्रेट हे	तु अमोनियम	नाइट्रेट नियम	, 2012
के नियग	म	के अधी	न अनुज्ञप्ति जार्र	ो किए जाने में कोई	ई आपत्ति नर्ह	ों है।						
	1.	प्रयोजन.										
		(विक्रय	हेतु कब्जा या उ	पयोग हेतु कब्जा,	किसी एक क	ा उल्लेख	ब करें)					
	2.	अमोनिय	ग्रम नाइट्रेट की [ः]	मात्रा								
		(क) कि	सी एक समय मे	†								
		(ख) एक	न्मास में									

(अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर) (जिला मजिस्ट्रेट या खान सुरक्षा महानिदेशक या खान सुरक्षा उप-महानिदेशक या खान सुरक्षा निदेशक)"।

> [फाईल सं.3(1)/2016-विस्फोटक] शैलेन्द्र सिंह, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 553 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 में प्रकाशित किए गए थे।

### Ministry of Commerce and Industry

(Department of Industrial Policy and Promotion)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2017

**G.S.R. 1271** (E).— The draft of the following rules to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five-days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Additional Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Room No.259, Udyog Bhavan, New Delhi – 110107. Email: singh.shailen@nic.in, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified shall be taken into consideration by the Central Government.

#### **Draft Rules**

- 1. Short title and commencement,-
- (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-
  - (A) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:-
  - '(s) "stevedore" includes any person or agency or firm which undertakes loading and unloading of Ammonium Nitrate from the ship, its transport to the licensed store house;';
    - (B) in clause (t), for the words "stevedoring, transport, storage and usage", the words "converter and stevedore" shall be substituted.
- **3.** In the principal rules, in rule 5, in the proviso, after the words "importers and exporters", the words "of Ammonium Nitrate" shall be inserted.
- 4. In the principal rules, in rule 6,-
  - (A) in sub-rule 2, clause (a) shall be omitted;
  - (B) in sub-rule (4), after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-
    - "(e) The Ammonium Nitrate shall be imported by the importer only for his own bonafide use and not for sale.
    - (f) The Ammonium Nitrate shall be exported by its manufacturers only.";
  - (C) in sub-rule (5), in clause (b), after the words "carriage vessel", the words "or vehicle" shall be inserted.
- 5. In the principal rules, in rule 8,-
  - (A) in clause (a), the words "or container or is suitably bagged by stevedore or converter" shall be omitted;
  - (B) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
    - " (b) the bag is marked in accordance with the provisions of rule 9;";
  - (C) in clause (c), for the word "packages", the word "bags" shall be substituted;
  - (D) in clause (d), for the word "packages", the word "bags" shall be substituted.
- 6. In the principal rules, in rule 9,-
  - (A) in sub-rule (1),-
    - (I) the words "or container" shall be omitted;

- (II) in clause (f), for the word "package", the word "bag" shall be substituted;
- (III) in clause (h), for the words "stevedoring agent", the word "stevedore" shall be substituted;
- (B) in sub-rule (2), for the letters "RFID", the words "Radio Frequency Identification Device" shall be substituted.
- 7. In the principal rules, in rule 12,-
  - (A) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
    - "(4) The Ammonium Nitrate storehouse shall maintain following safety distances, namely:-
      - (a) for storage of Ammonium Nitrate not exceeding 30 MT,-
        - (i) 4.5 meters from other store house of capacity not exceeding 30 MT;
        - (ii) 4.5 meters from Ammonium Nitrate melt tank;
        - (iii) 4.5 meters from compound wall; and
        - (iv) 45 meters from any protected works;
        - (b) for storage of Ammonium Nitrate exceeding 30 MT,-
          - (i) 9 meters from other store house;
          - (ii) 9 meters from Ammonium Nitrate melt tank;
          - (iii) 9 meters from compound wall; and
          - (iv) 90 meters from any protected works.
        - (4A) The store house or Ammonium Nitrate melt tank may be adjacent to the bagging unit of the manufacturing or conversion of Ammonium Nitrate or xplosives manufacturing plant or nitrous oxide manufacturing plant, but shall observe all the provisions of sub-rule (4).
        - (4B) The safety distance shall be measured from the edge of the store house or Ammonium Nitrate melt tank as the case may be. ";
  - (B) in sub-rule (8), in clause (iii), after the words "protected works", the words "and the distance of minimum one metre shall be maintained between two such Ammonium Nitrate melt tanks" shall be inserted.
- **8.** In the principal rules, in rule 14, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
  - "(1) Every person holding a licence granted under these rules for manufacture, conversion, stevedore, possession for sale or use, transport, import or export of the Ammonium Nitrate shall maintain records in the forms specified in Part 3 of Schedule II to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to an authority specified in rule 50.
  - (1A) The licence holder shall enter the particulars on manufacture, conversion, stevedore, bagging, possession for sale or use, transport, import or export of Ammonium Nitrate in the online system made available in the official website of Petroleum and Explosives Safety Organisation on day to day basis.".
- **9.** In the principal rules, in "CHAPTER III", for the heading, the following heading shall be substituted, namely: "PROVISIONS FOR SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT PLAN".
- 10. In the principal rules, in rule 15, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(1) A person intending to manufacture, convert or stevedore Ammonium Nitrate shall submit Safety and Security Management Plan to the licensing authority and to the District Authority with the security aspect duly endorsed by the Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police, as the case may be.".
- 11. In the principal rules, in rule 18,-
  - (A) in sub-rule (2), for the words "stevedoring agent", the word "stevedore" shall be substituted;

- (B) in sub-rule (3), for the words "stevedoring agent", the word "stevedore" shall be substituted;
- (C) in sub-rule (4), the words "the Licensing Authority and", shall be omitted;
- (D) in sub-rule (5), in clause (b), for the word, letters and figure "Form CE-1", the word, letter and figure "Form C-1" shall be substituted;
- (E) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(7) The Ammonium Nitrate shall be imported only for the purpose of own bonafide use and not for trading purpose.".
- 12. In the principal rules, in rule 19, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
  - "(4) The exporter shall submit copy of bill of lading and return in Form R-12 to the Chief Controller, on export of each consignment as soon as it is dispatched from Indian sea port or border.".
- **13.** In the principal rules, in rule 21, in sub-rule (6), for the word "storehouse", the words "store house or Ammonium Nitrate melt tank" shall be substituted.
- 14. In the principal rules, in rule 22, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
  - "(9) The vehicles engaged in transport of Ammonium Nitrate shall be fitted with Global Positioning System and monitored by the transport licence holder in Form P-4.".
- **15.** In the principal rules, in rule 26, for the words "in and from a storehouse", the words "from a store house or Ammonium Nitrate melt tank" shall be substituted.
- **16.** In the principal rules, in rule 27, in sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
  - "(d) a person holding a licence for possession and use of Ammonium Nitrate shall issue pass in Form R-13 of Part 3 of Schedule II.".
- 17. In the principal rules, in CHAPTER VII, in the heading, the word "TRANSFER" shall be omitted.
- **18.** In the principal rules, in rule 29, in sub-rule (1),-
  - (A) in clause (b), for the words "from a store house", the words "of Ammonium Nitrate" shall be substituted;
  - (B) in clause (c), after the word "store house", the words "or Ammonium Nitrate melt in tank" shall be inserted;
  - (C) in clause (d), after the word "store house", the words "or Ammonium Nitrate melt in tank" shall be inserted.
- 19. In the principal rules, in rule 30,-
  - (A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(1) A person desiring to obtain a licence for manufacture, conversion, stevedore, bag, store for possession for sale or possession for use of Ammonium Nitrate, under these rules, shall obtain prior approval from the authority empowered to grant such licence, by submitting documents mentioned in rule 33.";
  - (B) in sub-rule (2), for the word "Magistrate", the word "Authority" shall be substituted;
  - (C) in sub-rule (3), for the word and figures "rule 33", the word and figures "rule 34", shall be substituted.

- **20.** In the principal rules, in rule 31, for the word and figures "rule 32", the word and figures "rule 33" shall be substituted
- **21.** In the principal rules, in rule 33, in sub-rule (2), in clause (d), for the words "Chartered Engineer", the words "the applicant" shall be substituted.
- 22. In the principal rules, in rule 34,-
- (A) in sub-rule 2, in clause (b), after the words "Mines Safety", the words "or Deputy Director General of Mines Safety or Director of Mines Safety" shall be inserted;
  - (B) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(3) Fresh No Objection Certificate is not required for manufacturer or converter or store house or Ammonium Nitrate melt in tank, which is already existing at the site covered under No Objection certificate issued for the purpose by the District Authority or Director General of Mines Safety or Deputy Director General of Mines Safety or Director of Mines Safety or No Objection Certificate issued under the Explosives Rules, 2008."
- **23.** In the principal rules, in rule 35, in sub-rule (3), for the words "licensing authority", the words "Controller or District Authority as the case may be" shall be substituted.
- **24.** In the principal rules, in rule 36,-
  - (A) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(4) Every application for the renewal of a licence shall be made so as to reach the licensing authority or the authority empowered to renew the licence on or before the date on which the licence expires:

Provided that if the renewal application together with complete documents is received by the licensing authority after the date of expiry of the licence but not later than six months from the date of its expiry; and if the licensing authority is satisfied that the reason for the delay was beyond the control of the licence holder, the licence may, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, be renewed on payment of the late fee equivalent to one year's licence fee.";

- (B) after sub-rule (8), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
  - "(9) No licence shall be renewed if the application for renewal is received by the licensing or renewing authority after six months of the date of its expiry.
  - (10) An application for renewal received after six months of the expiry of the licence shall be considered as an application for a new licence and in such case, all the documents required for grant of new licence including No Objection Certificate issued by District Authority shall be submitted to the licensing authority for grant of new licence."
- **25.** In the principal rules, in rule 51, in sub-rule (3), for the words "this rule", the words and figure "sub-rule (2)" shall be substituted.
- **26.** In the principal rules, in rule 52, the words "where the loss exceeds the permitted limit of loss that typically occurs during routine productions, storage, transportation, or use of Ammonium Nitrate" shall be omitted.
- 27. In the principal rules, in SCHEDULE I, in the table, against serial no 3, in column 2,-
  - (A) in item (a), the word "or use" shall be omitted;
  - (B) for item (b), the following item shall be substituted, namely:-
    - "(b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30 MT or Ammonium Nitrate melt in tank; or";

- (C) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-
- "(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or Ammonium Nitrate melt in tank attached to explosives manufacturing or Nitrous Oxide manufacturing unit or industrial applications; or".
  - (D) in item (d), after the word "storehouse", the words and figure "not exceeding 3 MT." shall be inserted.
- 28. In the principal rules, in SCHEDULE II,
  - (A) in PART-1, in the table, against Form No A-3, in column 2,-
    - (a) in item (a), the words "or use" shall be omitted;
    - (b) for item (b), following item shall be substituted, namely:-
      - "(b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30 MT or Ammonium Nitrate melt in tank; or";
    - (c) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-
      - "(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or Ammonium Nitrate melt in tank attached to explosives manufacturing or Nitrous Oxide manufacturing unit or industrial applications; or";
    - (d) in item (d), after the word "storehouse", the words and figure "not exceeding 3 MT." shall be inserted;
  - (B) in PART-2, in the table, against Form No P-3, in column 2,-
    - (a) in item (a), the words "or use", shall be omitted;
    - (b) for item (b), following item shall be substituted, namely:-
      - "(b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30 MT or Ammonium Nitrate melt in tank; or";
    - (c) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-
      - "(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or Ammonium Nitrate melt in tank attached to explosives manufacturing or Nitrous Oxide manufacturing unit or industrial applications; or".
    - (d) in item (d), after the word "storehouse", the words and figure "not exceeding 3 MT." shall be inserted;
- (C) in PART-3, in the table, after the Form No R-11 (b) and the entries relating thereto, the following Forms and entries shall be inserted, namely:-

"R-12	Declaration to be forwarded to the Chief Controller of Explosives as soon as any
	consignment of Ammonium Nitrate is dispatched by the exporter from the sea port
	or dispatched by road for export by land
R-13	Pass issued by the licensee for Use of Ammonium Nitrate.";

### (D) in PART-4,-

(a) for the Forms A-1 to A-5, the following Forms respectively, shall be substituted, namely:-

### "Form A-1

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

# APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OF LICENCE TO MANUFACTURE AND POSSESS FOR SALE OR CONVERT MELT TO SOLID AND VICE VERSA AND POSSESS FOR SALE OF AMMONIUM NITRATE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (tick any one): Ap  1. Type of applicant (tick		Amendment	
J. F. T. S. F. F. S. S. C. S.	•	hip Firm Proprietary Fir	m Society
2. Applicant's detail:			
(a) Name in which licen	ce is sought (see note below)-		
(b) CIN No/Firm registr	ation No (in case of company)	/Firm)	
(c) Age in case of indivi	dualAadh	ar No	
(d) Postal address			
City	DistrictState-	PIN Code	
Phone No with STD	codeMobile	NoE-mail	
3. Address of the proposed	l premises:		
Survey/Gat No/Khasra	a No	Town/Village	
Mandal/Taluk/Tehsil-		Railway Station	
Police Station	Distric	ct	
State	PIN Code		
5. Details of industrial lice	nd attach separate sheet if req nce (attach copy): itrate proposed to be (1) Ma		
Quantity proposed to be	Quantity proposed to be	Approved annual	Proposed capacity of
manufactured/converted	manufactured/converted	capacity as per Industrial	attached storehouse for
per day	per annum	Licence	possession and sale
(in MT)	(in MT)	(in MT)	(in MT)
		nation	
8. (a) Particulars of the oth during the last ten year	-	s Act, 1884, if any held by the	

26	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [P.	ART II–	-SEC. 3(i)]
If yes, give de	etails		
<b>9.</b> (a) Has the appl	icant been convicted under any offence or ordered to execute bond under		
-	I of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last ten years Yes No		
<b>10.</b> Fee details			
11. List of docume	ents attached:		
I hereby certify that	the above particulars given by me are correct.		
			$\neg$
Date:	Signature of applicant in the box above		
Place:	Full name		
	(Authorised person in case of company)		
Notes: Please see th	ne rules for the purpose and documents to be attached.		
(1) In case where ap	oplication is made by a person other than individual, the name and address of		
the occupier as I	per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and		
specimen signat	ures of authorised person to be attached.		
(2) Six copies of the	e passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.		
(3) Any change in the	he above information should be immediately communicated to the licensing		
authority and aut	thority renewing the licence.		
Statutory Warning under the applicab	g: Mishandling and misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious crimi ole law.	nal offe	ence
	Form A-2		Please affix a recent
(	See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)		passport size colour
	APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT		photograph o occupier with
O	F LICENCE TO STEVEDORE, BAG AND STORE AMMONIUM NITRATE		signature in front
_			
Purpose (tick any o			
1. Type of applica	nnt (tick any one): Individual Company Partnership Firm Society Proprietary Firm	٦	
2. Applicant's det		_	
(a) Name in wh	rich licence is sought (see note below)		
(b) CIN No/Fire	m registration No. (in case of company/Firm)		
(c) Age in case	of individualAadhar No		
(d) Postal addre	nec		

City------PIN Code------

Phone No with STD code ---------Mobile No------E-mail------

3. Address of the propose	ed premises:			
Survey/Gat No/Kha	sra No	Town/Village-		
Mandal/Taluk/Tehsi	1	Railway Station		
Police Station		District		
State		PIN Code		
4. Details of the registrat	ion of stevedore with <b>j</b>	port authority:		
5. Qualification and expe	erience of applicant and stack separate sh	nd technical personnel emp		
6. Details of Ammonium	Nitrate proposed to b	e bagged:		
Quantity proposed to be bagged per day (in MT)	Annual installed capacity (in MT)	Proposed bulk storage capacity for possession (in MT)		for storage of
(m 1/1 I )	(m 1/1 1)	(111 141 1)	(in I	MT)
3. (a) Particulars of the during the last ten years	S	Explosives Act, 1884, if any		
(b) Was any licence can	celled or not renewed?	Yes No		
, , ,		offence or ordered to execu		
Chapter VIII of Coo	de of Criminal Procedu	re, 1973, during the last ten	years Yes	No [
<b>10.</b> Fee details				
1. List of documents attac	ched:			
hereby certify that the ab	ove particulars given b	y me are correct.		
Date:		Signatu	re of applicant in the b	oox above
Place:		Full na	me	
		(Author	rised person in case of	company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and

specimen signatures of authorised person to be attached.

- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.

### Form A-3

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

# APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OF LICENCE FOR POSSESSION AND SALE OR USE OF AMMONIUM NITRATE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (tick any one): Approval Grant Amendment
1. Licence sought for (tick any one):
(a) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house or a tank not exceeding 30 MT; or  (b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house or a tank exceeding 30 MT; or
(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or a tank attached to explosives/ANFO/Nitrous Oxide manufacturing unit; or
(d) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate for agriculture purpose from a store house not exceeding 3 MT.
2. Type of applicant (tick any one): Individual Company Partnership Firm Society Proprietary Firm
3. Applicant's detail:
(a) Name in which licence is sought (see note below)
(b) CIN No/Firm registration No (in case of Company/Firm
(c) Age in case of individualAadhar No
(d) Postal address
CityPIN Code
Phone No with STD codeMobile NoE-mail
4. Address of the proposed premises:
Survey/Gat No/Khasra No Town/Village
Mandal/Taluk/Tehsil Railway Station
Police Station District

StatePIN Code	
5. Qualification and experience of applicant and technical person	nnel employed by him.
(Give individual's details and attach separate sheet if required)	
6. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be possessed at a	
7. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be sold in a day:	MT.
8. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be sold in a mon	th:MT.
9. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be used in a day	:MT.
10. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be used in a more	nth:MT.
11. Are the premises attached to the factory licenced to manufac	ture of explosives/nitrous
oxide: Yes No	
12. Details of amendment proposed or additional information	
13(a). Particulars of the other licences under Explosives Act, 188	34, if any held by the applicant during the last ten
	No
If yes give details	
14. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered	ed to execute bond under
Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during th (b) If yes, give details	· —
15. Fee details:	
16. List of documents attached:	
I hereby certify that the above particulars given by me are correct.	
Date:	Signature of the applicant in the box above
Place:	Full name
	(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Please affix a

recent passport size

colour photograph of

# Statutory Warning: Mishandling and misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.

### Form A-4

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

# APPLICATION FOR GRANT OR AMENDMENT TO TRANSPORT AMMONIUM NITRATE

Purpose (tick any one): Grant Amendment	occupier with signature in front
1. Type of applicant (tick any one): Individual Company Partnership Firm Society Proprietary Firm	
2. Applicant's details:	
(a) Name in which licence is required to be granted (see note below)	
(b) Status (Please tick): Individual Company Partnership Firm Society Proprietor	ship Firm
(c) CIN No/Firm registration No (in case of company/Firm)	
(d) Age (in case of individual)Adhaar NoAdhaar No	
(e) Postal address:	
CityPIN Code	
(f) Phone no with STD codeMobile NoE-mail	
3. Qualification and experience of applicant:	
4. Particulars of places from where and to Ammonium Nitrate to be transported:	
(a) Manufacturing factory situated atto all India.	
(b) Port nameto the premises of Stevedore situated at	
(c) Port nameto the storehouse situated at	
(d) Stevedore's premises atto storehouses.	
(e) Store house situated atto all India	
(f) Store house situated atwithin/to the state/ Districts of	
5. Particulars of licences held by the applicant under Explosives Act, 1884:	
(a) Ammonium Nitrate manufacturing Licence no (if applicable)	
(b) Srevedore's Licence no (if applicable):	
(c) Licence no of storehouse:	
(i) Possession & sale(ii) Possession & use	
6. Mode of transport:	
7. (a) Has the applicant held other licences under Explosives Act, 1884 in the last ten years? (Y/N)	
(b) Has any licence held by applicant been cancelled or not renewed in the last ten years? (Y/N)	
(c) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under	
Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last ten years. Yes No	
If answer is yes to any of the question above, give details	

### 3. In case of import:

a) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be imported: .........

b)	UN No. of Ammonium Nitrate proposed to be imported:						
c)	Bagging pattern of Ammonium Nitrate to be imported:						
d)							
e)							
f)	Name and address of Trading Agent, if any:						
g)	Country of foreign sea port or place of loading:						
h)	1 1						
i) j)	Imported consignment received directly by the importer or the If received through stevedoring agent, particulars of his name of the importer or the importer o						
J)							
k)		mmonium Nitrate will be stored after import, either					
4. In c	case of export :						
a) b)	Quantity of Ammonium Nitrate to be exported:						
c)	Bagging pattern of Ammonium Nitrate to be exported:						
d)	Name and address of consignee:						
e) f)	Name and address of the manufacturer of Ammonium Nitra Country to where Ammonium Nitrate is exported:	te to be exported:					
g)	Indian Place or port from which Ammonium Nitrate will be	exported:					
h)	Likely date of dispatch of Ammonium Nitrate export cons	ignment:					
	Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884 pplicant during the last ten years						
	Was any licence cancelled or not renewed? Yes						
	f yes give details:	<del>-</del>					
11	it yes give details						
6 (a) H	Has the applicant been convicted under any offence or ordered	to execute bond under					
	•						
	Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the yes, give details	· — —					
(0) 11.	yes, give douns						
7. Fee	e details						
8. List	t of documents attached:						
I hereby	y certify that the above particulars given by me are correct.						
Date:		Signature of applicant in the box above					
Place: -		Full name					
		(Authorised person in case of company)					

**Notes:** Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of

- the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

# Statutory Warning: Mishandling and misuse of ammonium nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.";

#### (b) in LICENCE FORM P-1,-

- (I) in serial number 1, the words "Police Station..... Railway Station or Steamer Ghat-----Phone..... Email......Fax .........." shall be omitted;
- (II) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:" 1(a). Name of the Occupier -----";
- (III) in condition 11, after the word "stored in", the words "Ammonium Nitrate melt in tank or" shall be inserted;
- (IV) in condition 13, for the word and figures "rule 49", the word and figures "rule 50", shall be substituted;
- (V) for condition 15, the following condition shall be substituted, namely:-
- "14. The licence holder shall maintain account of Ammonium Nitrate manufactured or converted in Form R-2 and submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured or converted, received, used, sold, destroyed and stolen in the prescribed Form R-9 of Part 3 of Schedule II so as to reach Licensing Authority and District Authority on or before the tenth day of every succeeding month.";

### (c) in LICENCE FORM P-2,-

- ( I) in serial number 1, the words "Police Station...... Railway Station or Steamer
- (II) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:"1(a) Name of the Occupier -----";
- (III) after serial number 9, in the end, for the words "[District Authority]", the words "[Chief Controller]", shall be substituted;
- (IV) for condition (4), the following condition shall be substituted, namely:-
  - "(4) The licence holder and every person employed in or about the stevedore, bag and store premises shall take all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion in the stevedore, bag and store premises and for preventing unauthorised person from having access to such premises or to the Ammonium Nitrate therein and shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and is not reasonably necessary for the purposes of work in the stevedore, bag and store premises.";
- (V) in condition (6), for the words "manufacturing, conversion", the words, "stevedore, bag and store", shall be substituted;
- (VI) in condition (9), after the words "is imported", the words "restricted to the store house capacity of the importer", shall be inserted;

- (VII) in condition (10), for the words "police station and the District Authority", the words "police station, the District Authority and the Chief Controller", shall be substituted;
- (VIII) for condition (14), the following condition shall be substituted, namely:-
  - "(14) Licence holder shall maintain records in the prescribed forms specified in Part 3 of Schedule II and shall produce such records on demand to authority specified in rule 50.";
- (IX) after condition (16), in the end, for the words "[District Authority]", the words "[Chief Controller]", shall be substituted;
- (d) in LICENCE FORM P-3,-
  - (I) below the heading "LICENCE FORM P-3", for the figures "2011", the figures "2012" shall be substituted;
  - (II) in item (a), the words, "or use" shall be omitted;
  - (III) for item (b), the following items shall be substituted, namely:-
    - "(b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30 MT or Ammonium Nitrate melt in tank; or;
  - (IV) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-
    - "(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or Ammonium Nitrate melt in tank attached to explosives manufacturing or Nitrous Oxide manufacturing unit or industrial applications; or";
  - (V) for item (d), the following item shall be substituted, namely:-
    - "(d) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate for agriculture purpose from a store house not exceeding 3 MT";
  - (VI) in serial number 1, the words "Police Station..... Railway Station or Steamer Ghat....... Phone.....Email......Fax ..........." shall be omitted;
  - (VII) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:"1(a) Name of the Occupier -----";
  - (VIII) in serial number 4, for item (b), the following items shall be substituted, namely:-
    - "(b) Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a month-----;
    - (c) Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a financial year----";
  - (IX) for condition (2), the following condition shall be substituted, namely:-
    - " (2) The quantity of Ammonium Nitrate received or stored, or sold in the premises shall not exceed at any one time the quantity for which licence is issued.";
  - (X) for condition (6), the following condition shall be substituted, namely:-
    - "(6) The licence holder shall appoint a competent person to supervise the operations in the premises.";
  - (XI) in condition (9), for the words "police station and the District Authority", the words "police station, District Authority and the Chief Controller" shall be substituted;
  - (XII) for condition (10), following condition shall be substituted, namely:-
    - "(10) Licence holder shall maintain records in the prescribed forms specified in Part 3 of Schedule II and shall produce such records on demand to authority specified in rule 50.";

(XIII) in condition (11), for the letters and words "AN received, sold/used", the words "Ammonium Nitrate received, sold, used, stolen", shall be substituted;

#### (e) in LICENCE FORM P-4,-

- (I) after serial number (1), the following serial number shall be inserted, namely:"(1a) Name of the Occupier -----";
- (II) for the heading "CONDITONS", the heading "CONDITIONS" shall be substituted;
- (III) in condition (4), for the letters, brackets and figures "R-11(B)", the letters, brackets and figures "R-11 (b)" shall be substituted;

### (f) in LICENCE FORM P-5,-

- (I) in serial number1, the words "Police Station..... Railway Station or Steamer Ghat...... Phone.....Email......Fax ......." shall be omitted;
- (II) after serial number 1, the following serial number shall be inserted; "1(a) Name of the Occupier -----";
- (III) in serial number 3, in item (a), in the table,-
  - (i) column (2) shall be omitted;
    - (ii) in the last column, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
      - "Particulars of stevedore licence issued under Ammonium Nitrate Rules, 2012";
- (IV) in condition (12), for the word and figures "rule 49", the word and figures "rule 50", shall be substituted;
- (V) after condition (12), the following condition shall be inserted, namely:-
  - "(13) Licence holder for export of Ammonium Nitrate shall submit declaration in Form R-12 soon after the consignment of ammonium Nitrate is dispatched from Indian sea port.";
- (g) in FORM R-1, in the Notes, for serial number (1), the following serial number shall be substituted, namely:-
  - "(1) The renewal application should reach to the renewal authority before the date of expiry of the licence to avoid payment of late fee.";

### (h) in FORM R-10,-

- (I) below the heading "FORM R-10", for the figures, brackets and letter "26(2)(a)", the figures, brackets and letter "27(2)(a)" shall be substituted;
- (II) in the end, after the words "Signature of the License holder", the words "or authorised person" shall be inserted;
- (i) for FORM R-11(a), the following Form shall be substituted, namely:-

### "FORM R-11(a)

(See rule 20(3) of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

# Form of intimation to be given by the consignor or stevedore to the District Superintendent of Police before dispatch of consignment of Ammonium Nitrate

- •	of Ammonium Nitrate or			•	ed	
	f bags (in case of solid A					
3. Ammoniu	m Nitrate proposed to be	transported by v	ehicle registra	ation number		
4. Name and	address of consignee					
	nd validity of consignee's			Nitrate		
6. Consignee	e's indent number and dat	e				
	address of authorised pe			-		
	espatch of consignment					
9. Probable o	date on which consignme	nt reaching consi	gnee's place-			
Place:		S	Signature of c	onsignor or authoris	ed person	
Date:		F	ull Name			
			Licence Nun	nber	";	
(i) for FOR	M R-11(b), the following	Form shall be su	ıbstituted, nar	nelv:-		
() 101 1 014	or re 11(0), the rono wing		ORM R-11(b)	-		
	(Sec			rate Rules, 2012)		
Pas	ss issued by the consign	or or stevedore i	for transport	of consignment of	Ammonium Nit	rate
1. Pas	ss No		Date			
	s pass covers	•		•		
	strictState- tecontainir				ict	
(A) A	mmonium Nitrate (Solid	)				
Sr No.	Explosives Name	Quantity	Unit (kg)	No of bags	Batch No	Batch date
1						
2						
3						
1 .	1		1		1	1

Explosives name

(D) Annioman Made (Men	(B	) Ammonium	Nitrate (	Melt
------------------------	----	------------	-----------	------

Sr No

		(kg)
3. (a) Mode of	transport	
(b) Vehicle	registration no	
* /	of P-4 licence under Ammonium Nitrate Rules, 2012 on the sum Nitrate is being transported	e
4. Name and a	ddress of consignee	
5. Consignee's	Licence number	

Quantity

9. Approximate date on which cons	ignment should reach the destination
10. Route for transport of consignment	nent
Place:	Signature of consignor or authorised person
Date:	Full Name
	Licence Number;

6. Consignee's order number with date and quantity of Ammonium Nitrate ordered-----

7. Consignee's letter number and date intimating readiness to receive Ammonium Nitrate-----

8. Date of despatch of consignment------

(k) after FORM R-11(b), the following Forms shall be inserted, namely:-

### "FORM R-12

### [See rule 19(4) of the Ammonium Nitrate Rules, 2012]

Declaration to be forwarded to the Chief Controller of Explosives as soon as any consignment of Ammonium Nitrate is dispatched by the exporter from the sea port or dispatched by road for export by land

Sr No.	Item	Details
1	Export Consignment	
2	Export Licence No	
3	Name & Address of Exporter	
4	Type of Ammonium Nitrate	
5	Quantity Permitted to Export	
6	Name and address of the Consignee	

7	Name of the Ammonium Nitrate Manufacturer	
8	Name Indian sea port or border	
9	Destination Country	
10	Name of the Ship	
11	Date of Dispatch from Indian Sea Port or by road for export by land	
12	Remarks of Exporter (if any)	

Details of dispatch of ammonium nitratefrom the Exporter's premises:-

Sr. No	Dispatch Date	R- 11(b) No.	Export Indent R-10 No.	No. of bags	Quantitiy in each bag (Kg)	Quantity Exported (Kg)	Batch No.	Batch Date	Transport Licence No.

Date:	Signature of the exporter
Place:	Authorised person in case of Company

### **FORM R-13**

[See rules 27(2)(d) of the Ammonium Nitrate Rules, 2012]

### Pass issued by the licensee for use of Ammonium Nitrate

Part-A							
Pass 1	No.		Date:				
This pass covers following quantity of Ammonium under Licence No.:							
Sr. Type of Ammonium Nitrate No		Qu	antity Issued for Use	Unit			
FP1 4							
	mmonium Nitrate is being transported the Transport Licence number						
	of agent of mine owner or authorised n of site of use						
Full ac	ddress of site of use						
Purpos	se of use						
Appro Site of	eximate Distance between Store house and f Use						

	ignature			Signature(Authorised Signatory)				
	Name of the Agent of			(Licensee)				
	Mine/Owner/Authorised Place of Use	Person of		Licence Number:				
				Licence Form:P3				
	<b>Important Notes:</b>							
	The quantity of Ammonium Nitrate issued should be the quantity likely to be used during the day.							
	The Place of use may be at such a distance from store house so that if any Ammonium Nitrate is left un-used, the same can be transported back and deposited in the store house referred in Sr. No. 2 of above on the same day before the sunset.							
	To be filled in case Amm Storehouse:	nonium Nitr		ort - B re left unused and to be r	returned in the			
Sr. No	Type of Ammonium Nitrate	Quantity Returned		Quantity Actually Used	Unit			
	Signature		Sign	Signature of licensee				
	Name of the agent of mine			(Authorised Signatory)				
	owner or authorised person of place of use		Licence Number:					
				Licence Form:P3".				
in CEI	RTIFICATES, for Form C-2, the	following For	rm chal	l he substituted namely:				

(1)

# "Form C-2

Format of No Objection Certificate (See rule 34 of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)

### No Objection Certificate under the Ammonium Nitrate Rules, 2012

With	reference	e to	the a ₁	plication	no			dated		submitted
by		an	d in pursu	nance of 1	rule 34	of the Ammo	onium Nitr	ate Rules,	2012,	there is no
objection	n for	granting	licence	under	the	Ammonium	Nitrate	Rules,	2012	to
				of addre	ss					
for the fo	ollowing p	ourpose, ki	nd and qua	antity of A	Ammon	ium Nitrate in	the premis	es at Surve	ey no. o	or Gat no or
Khasra	no	-	, villa	ge	t	ehsil or ta	luka			,
district		, sta	te		as sh	own in the s	ite plan d	luly endor	sed an	d enclosed
herewith							•	•		
1. Purpos	se:									

(please mention any one of possession for sale <b>or</b> possession for use)
(Dicase ilicition any one of possession for sale <b>of</b> possession for use)

- 2. Quantity of Ammonium Nitrate:
  - (a) at any one time.....
  - (b) in a month.....

(Signature of the no objection certificate issuing authority with his official seal) (District Magistrate or Director General of Mines Safety or Deputy Director General of Mines Safety)".

[F. No. 3(1)/2016-Expl.]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) *vide* notification number G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012.